न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का पीपलाद

बनाम

अप्रार्थी :– श्री हासमखां पुत्र अलाबक्स वगैरह निवासी परबतसर

अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 47 / 17

निर्णय दिनांक 02 / 11 / 2017

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पीपलाद ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2074 में सरहद मालासगुसाईयां के ख.न 1262 रकबा 0.02 है. भूमि किस्म रास्ता में फसल की काश्त कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वंय से नोटिस तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी दिनांक 15.9.2017 को उपस्थित हुए लेकिन कोई जबाब प्रस्तुत नही किया अतः अप्रार्थी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की जाती है।

अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदख़ल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 5 रूपये प्रति हैक्टेयर से की दर से अतिक्रमित रकबा 0.02 है. भूमि के 0.10 रूपये लगान का 50 गुणा 10/– अक्षरे दस रूपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। साथ ही मौके पर बोई फसल की फसल को भू.अ.निरीक्षक परबतसर द्वारा जेसीबी की मशीन चला कर रास्ता खोला जाने से फसल नष्ट होने से निलामी की कार्यवाही नही की गई। जुर्माना राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर एंव भू.अ.निरीक्षक रोहिण्डी को वसूली हेतु लिखा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल द तर हो।

तहसीलदार परबतसर

17-18 5

तहसील राजस्व लेखाकार